रजिस्ट्री सं० डी०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 253] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 22, 2012/अग्रहायण 1, 1934
No. 253] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 22, 2012/AGRAHAYANA 1, 1934

प्रसार भारती
(भारतीय प्रसारण निगम)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2012

सं. ए-10/178/2012-पीपीसी.— प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम 1990 (1990 का 25) की धारा 33 के साथ पठित धारा 11 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निगम निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन विनियमों का नाम प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्राधिकारी विनियम, 2012 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **अनुशासनात्मक कार्यवाही** : केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 और केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 में दिए गए प्रावधान प्रसार भारती अधिनियम, 1990 की धारा 11 की उप धारा (1) और उप धारा (2) में संदर्भित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में लागू होंगे।

3. अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्राधिकारी : निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट अनुशासन प्राधिकारी, उक्त तालिका के स्तंभ (4) की संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अपील प्राधिकारी और तालिका के स्तंभ (5) की संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट समीक्षा

प्राधिकारी, अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्राधिकारी होंगे और उक्त तालिका के स्तंभ (2) के अंतर्गत वर्गीकृत पदों के संबंधों में लघु और मुख्य दंडो (अनिवार्य सेवा निवृत्ति, सेवा से हटाया जाना तथा सेवा से बर्खास्तगी को छोड़कर) को लागू करने से संबंधित शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे।

तालिका

क्र.सं.	पदों का वर्गीकरण	अनुशासनात्मक प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	समीक्षा प्राधिकारी
1.	समूह 'क'	प्रसार भारती बोर्ड के कार्यकारी सदस्य	प्रसार भारती बोर्ड की समिति जिनमें अध्यक्ष, सदस्य (वित्त) और सदस्य (कार्मिक) होंगे	प्रसार भारती बोर्ड
2.	समूह 'ख'	आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती बोर्ड सचिवालय में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए महानिदेशक (आकाशवाणी) या महानिदेशक (दूरदर्शन) या प्रसार भारती बोर्ड के सदस्य (कार्मिक), जैसा भी मामला हो।	प्रसार भारती बोर्ड के कार्यकारी सदस्य।	प्रसार भारती बोर्ड की समिति जिनमें अध्यक्ष, सदस्य (वित्त) और सदस्य (कार्मिक) होंगे
3.	समूह 'ग' और समूह 'घ'	(i) स्टेशनों/केंद्रों में पदस्थ कर्मचारियों के मामलों में सीनियर टाइम स्केल या उससे ऊपर स्तर के स्टेशनों/केंद्रों के केंद्राध्यक्ष। (ii) प्रसार भारती के अन्य सभी स्थापनाओं के मामलों में सीनियर टाइम स्केल या उससे ऊपर स्तर का अधिकारी।	(i) स्टेशनों/केंद्रों में पदस्थ कर्मचारियों के मामलों में संबंधित क्षेत्रीय अपर महानिदेशक (ii) प्रसार भारती के अन्य सभी स्थापनाओं के मामलों में अपर	आकाशवाणी या दूरदर्शन में पदस्थ कर्मचारियों के लिए महानिदेशक (आकाशवाणी) या महानिदेशक (दूरदर्शन), जैसा भी मामला हो। प्रसार भारती सचिवालय में

			महानिदेशक स्तर का संबंधित अधिकारी।	पदस्थ कर्मचारियों के मामलों में सदस्य (कार्मिक)।

4. लंबित कार्यवाहियों के लिए इन विनियमों को लागू करना : ये विनियम किसी भी अनुशासनात्मक, अपील या समीक्षा कार्यवाहियों के लिए लागू होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे और जिनपर तदनुसार निर्णय लिया जाएगा।

जवाहर सरकार, कार्यकारी सदस्य
[विज्ञापन-III/4/163/12/असा.]

PRASAR BHARATI

(Broadcasting Corporation of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2012

No. A-10/178/2012-PPC.— In exercise of the powers conferred by Section 33 read with sub-section (4) of section 11 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), the Corporation hereby makes the following regulations, namely:-

1. **Short Title and Commencement**: (1) These regulations may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India), Authorities for Disciplinary Proceedings Regulations, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official
Gazette.

2. **Disciplinary Proceedings:** The provisions of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 and the Central Civil Services (Classifications, Control and Appeal) Rules, 1965 shall be applicable in respect of disciplinary proceedings against the officers and employees referred to in sub-section (1) and sub-section (2) of section 11 of the Prasar Bharati Act, 1990.

3. **Authorities for disciplinary proceedings:** The Disciplinary Authority specified in column (3) of the table given below, the Appellate Authority specified in the corresponding entry in column (4) of the said table, and the Reviewing Authority specified in the corresponding entry in column (5) thereof shall be the authorities for disciplinary proceedings and shall exercise their respective powers to impose minor and major penalties, except the power to impose major penalty of compulsory retirement, or removal, or dismissal from service in respect of the classification of posts specified against corresponding entries under column (2) of the said table.

TABLE

S.No.	Classification of posts	Disciplinary authority	Appellate Authority	Reviewing Authority
1	GROUP 'A'	Executive Member of the Prasar Bharati Board	A Committee consisting of the Chairman, the Member (Finance) and Member (Personnel) of the Prasar Bharati Board	Prasar Bharati Board
2	GROUP 'B'	Director General (Akashvani) or Director General (Doordarshan) or Member (Personnel) of the Prasar Bharati Board in respect of officers and employees posted in Akashvani, Doordarshan and Prasar Bharati Board Secretariat, as the case may be.	Executive Member of the Prasar Bharati Board	A Committee consisting of the Chairman, the Member (Finance) and Member (Personnel) of the Prasar Bharati Board
3	GROUP 'C' AND GROUP 'D'	(i) Station Head/Kendra Head of the level of Senior Time Scale or above in case of employees posted at Stations/Kendras	(i) Regional Additional Director-General concerned in case of employees posted at Stations/Kendras	Director General (Akashvani) or Director General (Doordarshan) in respect of employees posted in Akashvani or Doordarshan, as

		(ii) An officer of the level of Senior Time Scale or above in case of all other establishments of Prasar Bharati.	(ii) Concerned officer of the level of Additional Director General in case of all other establishments of Prasar Bharati.	the case may be. Member (Personnel) in respect of employees posted in Prasar Bharati Secretariat.

4. **Application of these regulations to pending proceedings.** These regulations shall be applicable to any disciplinary, appellate or review proceedings as on the date on which these regulations come into force and shall be decided accordingly.

JAWHAR SIRCAR, Executive Member

[ADVT. III/4/163/12/Exty.]

4368 GI/12-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.